



दैनिक न्याय साक्षी

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 23 अक्टूबर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 27

महत्वपूर्ण एवं खास
इकबाल मिर्ची के खास गुर्गे हुमायूं मर्चेट को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार
मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने अंडरवलेंट डॉन इकबाल मिर्ची के खास गुर्गे हुमायूं मर्चेट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इकबाल की अवैध संपत्ति, कारोबारी रिश्ते और राजनीतिक साठगांठ से जुड़े मामलों का लेखा जोखा हुमायूं ही रखता है। कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े संदिग्ध प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री मामलों में भूमिका को लेकर हुमायूं का आरोपी बनाया गया है। ईडी के सूत्रों के अनुसार हुमायूं मुंबई के वली लैंड डील मामले में प्रमुख तौर पर शामिल था। ईडी की यकीन है कि हुमायूं से पूछताछ के बाद इस मामले में अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। जानकारों के अनुसार आने वाले समय में पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

हम भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम: राजनाथ
» पाक के परमाणु हमले की धमकी पर बोले रक्षामंत्री

जापान सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक में कोविन्द ने की शिरकत

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द दो देशों फिलीपींस और जापान के अपने दौर के अंतिम चरण में सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे।
 राष्ट्रपति ने मंगलवार को जापान के शाही महल में सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने राज्याभिषेक समारोह के दौरान अलग से नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से भेंट की। राष्ट्रपति ने विचार-विमर्श के दौरान कहा कि नेपाल के साथ निरंतर बढ़ती एवं मजबूत होती साझेदारी हमारी सरकार के लिए एक प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पड़ोस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी भारतीय विज्ञान के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा, 'नेपाल के साथ अपनी विकास साझेदारी को भारत विशेष अहमियत देता है। नेपाल सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार ही नेपाल के आर्थिक विकास एवं तरक्की में इस देश को आवश्यक सहयोग देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।'
 फिर इसके बाद संध्या में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने जापान में भारत के राष्ट्रपति संजय कुमार वर्मा द्वारा टोक्यो में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, 'भारत व्यापक बदलाव के पथ पर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ विकसित हो रही है। हम नई बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित कर रहे हैं। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था, नई प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और ज्ञान समाज की रूपरेखा को विशेष



स्वरूप प्रदान करने के मोर्चे पर पूरी दुनिया की अगुवाई करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत अपनी प्रगति और समृद्धि में भाग लेने के लिए भारतीय समुदाय को अपार अवसर प्रदान करता है।' उन्होंने कहा, 'भारत दरअसल भारतीय समुदाय के सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा रखता है, ताकि हमारे सपनों के भारत का निर्माण किया जा सके। यह एक ऐसा भारत होगा जो अपनी प्रगति एवं समृद्धि से लाखों घरों को रोशन करेगा। यही नहीं, यह एक ऐसा भारत होगा जो सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखेगा।'
 राष्ट्रपति ने कहा, 'जापान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध अत्यंत गहरे और ऐतिहासिक हैं। हम बौद्ध धर्म से लेकर

अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, समझौता या फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। राम जन्मभूमि-बावरी मस्जिद मामले में दूसरे दौर की मध्यस्थता से 70 साल पुराने विवाद का समाधान पेचीदा बन गया है। मामले में मुख्य पक्षकारों ने समाधान के बजाय फैसले पर जोर दिया है। सभी पक्षों में सहमति नहीं होने पर मध्यस्थता समिति सर्वसम्मति से समाधान नहीं कर सकता है।
 दूसरे दौर की मध्यस्थता के समय को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि शीर्ष अदालत द्वारा 18 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने की समय-सीमा तय करने के बाद इसका प्रस्ताव किया गया।
 मध्यस्थता करने के इस प्रस्ताव से



विवादित स्थल को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में स्थापित करने के लिए पहले ही काफी तर्क दे चुके हैं।
 इसलिए माना जा रहा है कि हिंदू पक्षकार रणनीति के तहत अयोध्या विवाद में दूसरे दौर की मध्यस्थता से अलग हो गए हैं क्योंकि उनका मानना है कि बातचीत में शामिल पक्ष एक मंच पर नहीं आ सकते हैं।
 हिंदू पक्ष के एक सूत्र ने कहा, हम देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की राय में मतभेद है और मध्यस्थता का समर्थन करने वाले गुट को मामले में कई वर्षों से शामिल प्रमुख मुस्लिम

पक्षकारों का समर्थन नहीं है। हमारा मानना है कि मध्यस्थता से समाधान के बजाय ज्यादा गड़बड़ी ही पैदा होगी। रामलला के वकीलों ने शीर्ष अदालत को साफतौर पर बता दिया कि उनकी मध्यस्थता में हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं है।
 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश में रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के बीच 2.77 एकड़ विवादित भूमि को बराबर हिस्से में बांटने का फैसला हुआ था। रामलला और निर्मोही अखाड़ा में हमेशा टकराव बना रहा क्योंकि कोई विवादित स्थल को लेकर अपने दावे पर समझौता नहीं करना चाहते थे।

कर्नाटक से कांग्रेस नेता राममूर्ति ने थामा
भाजपा का दामन
नई दिल्ली (आरएनएस)। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के एस राममूर्ति इस्तीफा देने के बाद मंगलवार भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा महासचिव अरुण सिंह, भूपेन्द्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में राममूर्ति ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बीते बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
 राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अब 45 रह गई है, वहीं सदन में

नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी से मिले मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को मुलाकात की और दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर 'गहन तथा अच्छी' चर्चा की। बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं और उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो और माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन तीनों को वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने संबंधी शोध कार्यों के लिये 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोदी ने अपने आधिकारिक आवास में बनर्जी के साथ मुलाकात के बाद टवीट किया कि नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित अभिजीत बनर्जी के साथ शानदार मुलाकात। मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जुनून स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विभिन्न विषयों पर हमारे बीच अच्छी और गहन चर्चा हुई। भारत की उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मोदी ने बनर्जी के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में एक संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी को बधाई देते हुए उन्हें 'वाम की ओर झुकाव वाला' बताया था। गोयल ने कहा था कि बनर्जी ने न्यूनतम आय योजना का सुझाव दिया था जिसे भारत की जनता ने नकार दिया था और 'उनकी सोच को स्वीकार करने' की आवश्यकता नहीं है।

जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के सरकारी कामगारों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के उपरान्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के अनुरूप, गृहमंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकृत सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृत कर दिया है और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे।

पेंशन के लिए नियमों में बदलाव करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार पेंशन से जुड़े केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जल्द ही पेंशन पाने की उम्र सीमा बढ़ सकती है। यानि नियम बदलने पर कर्मचारियों को जहां पहले 58 साल की उम्र में पेंशन मिलने लगती थी वहीं अब 60 साल की उम्र में मिलेगी। सरकार ईपीएफ एक्ट में 1952 में बदलाव कर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल और बढ़ा सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर में होने वाली दूसरी बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच कसर टला


नई दिल्ली (आरएनएस)। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला समझौता फिलहाल टलता नजर आ रहा है। भारत और पाक दोनों ने बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 23 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच होने वाला समझौता टल गया है।
 इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि करतारपुर



(लगभग 1400 रुपये) का शुल्क दटाने की मांग की है। गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान अधिकारियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर तीन बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम बैठक में पाकिस्तान ने प्रति श्रद्धालु 20 डॉलर फीस की शर्त रखी थी। भारतीय अधिकारियों ने इस शर्त का तुरंत विरोध किया था। भारत का तर्क था कि करतारपुर कॉरिडोर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए बनाया गया है।

यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फिर फटकार

नई दिल्ली। यूपी के बुलंदशहर स्थित श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि ये अराजकता है। क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं।
 अदालत ने पूछा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके।



अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है। जब आपके राज्य में कानून नहीं है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया? अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है। हमें लोगों से मतलब है।
यूपी में है जंगलराज
 इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं। ऐसा लगता है यूपी

'हुनर हाट' के जरिए रोजगार मुहैया कराएगी केंद्र सरकार: नकवी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार हुनर हाट के माध्यम से 'हुनर के उस्ताद' लाखों कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों और पारंपरिक खानसामों को रोजगार तथा रोजगार के मौके मुहैया कराएगी।
 नकवी ने यह भी कहा कि अगला हुनर हाट प्रयागराज में आगामी एक से 10 नवम्बर के बीच आयोजित किया जायेगा। प्रयागराज में आयोजित किये जा रहे देश भर के हुनर के उस्तादों के

मेले में बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित देश के हर कोने से 300 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे भाग लेंगे। 2019-2020 के सभी 'हुनर हाट', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के थीम पर आधारित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केंद्रों में आयोजित एक दर्जन से ज्यादा 'हुनर हाट' के जरिये 2 लाख 50 हजार से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, खानसामों और उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराये गए हैं जिनमे बड़ी



संख्या में महिला कारीगर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 100 'हुनर हाट' का आयोजन करेगा। ये 'हुनर हाट' न दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला गोवा, कोच्ची, गुवाहाटी रंची, भुवनेश्वर, अजमेर आदि में आयोजित किये जाएंगे। नकवी ने कहा कि 'हुनर हाट' में आने वाले दस्तकारों, शिल्पकारों का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है साथ ही प्रत्येक दस्तकार, शिल्पकार के साथ कम से कम 40 से 50 लोग जुड़े होते हैं, जिन्हें रोजगार के मौके मिलते हैं।

केंद्र ने कर्मचारियों के लिए दी तोहफा नीति में छूट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए तोहफे स्वीकार करने की वित्तीय सीमाओं को बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तीन गुणा बढ़ाती कर इस सीमा में छूट दी गई है। उन्होंने हाल में संशोधित किए गए नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह 'अ' और 'ब' श्रेणियों के तहत आने वाले अधिकारियों को 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा सरकार की मंजूरी के बिना नहीं स्वीकार करना चाहिए। इससे पहले कर्मचारियों के इन समूहों के लिए तोहफा स्वीकार करने की सीमा 1,500 रुपये थी। इसी तरह समूह 'स' के कर्मचारी सरकार की मंजूरी लिए बिना अब 500 रुपये की बजाए 2,000 रुपये तक की भेंट स्वीकार कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीमा में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय

जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे चिदंबरम

» आईएनएक्स मीडिया मामला
नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मंगलवार को जमानत दे दी। सीबीआई की ओर से दर्ज इस मामले में गिरफ्तार को यह राहत मिली है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया है।
 न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को जमानत प्रदान करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय का 30 सितंबर का फैसला निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में चिदंबरम की



जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष अदालत में एक लाख रूपए का निजी एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मंगलवार को जमानत दे दी। सीबीआई की ओर से दर्ज इस मामले में गिरफ्तार को यह राहत मिली है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को जमानत प्रदान करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय का 30 सितंबर का फैसला निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में चिदंबरम की मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर चिदंबरम को रिहा कर दिया जाये। न्यायालय ने सीबीआई की इस दलील को दरकिनारा कर दिया कि 74 वर्षीय चिदंबरम ने इस मामले में दो प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया था। पीठ ने कहा कि जांच ब्यूरो के अनुसार चिदंबरम ने गवाहों को प्रभावित किया और आगे भी प्रभावित किये जाने की संभावना पूर्व वित्त मंत्री को जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता जबकि निरन्तर अदालत में उनकी हिरासत के लिये दायिलि खह आवेदनो में कहीं भी इस तरह की सुगवुगाहत तक नहीं है।